अनुदान संख्या 9 – नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 9–MINISTRY OF CIVIL AVIATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	372,73,00		457,64,00	450,89,50	–6,74,50
पूरक	Supplementary	84,91,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,21,07
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–			75,91,00	30,61,63	–45,29,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					45,48,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3053'' नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation				
मू.	O.	36267.00	44147.34	44100.89	–46.45
पू.	S.	8491.00			
पु.	R.	–610.66			

(I) 12.00 लाख रु. प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.12.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) ''सामान्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under "General-Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''हवाई खेलों के विकास के लिए भारत के हवाई क्लब को सहायता अनुदान'' - 379.00 लाख रु. की बचत (1279.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Grants-in-aid to Aero Club of India for Development of Aero-Sports" - saving of Rs.379.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1279.00 lakhs); and

(ख) "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सहायता अनुदान'' - 1030.00 लाख रु. की बचत (4410.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 138.57 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें "सामान्य - अन्य व्यय - हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 8491.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 36391.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज चार्टरों के प्रचालनों के संबंध में एयर इंडिया को क्षतिपूर्ति में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (4548.00 लाख रु.) 4529.37 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(B) "Grants-in-aid to Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy" - saving of Rs.1030.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4410.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of projects.

(III) Under two heads savings of Rs.138.57 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting more than 10 percent and 12 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under "General - Other Expenditure - Subsidy for operation of Haj Charters" – excess of Rs.1000.00 lakhs(against the total sanctioned provision of Rs.36391.00 lakhs including supplementary grant of Rs.8491.00 lakhs obtained in March, 2007) was due to enhanced compensation to Air India towards operations of Haj Charters.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.4548.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.4529.37 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	1482.00	. .	. .
पु.	R.	–1482.00		

. .

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''5053'' नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	3964.00	1543.00	1561.63	+18.63
पु.	R.	–2421.00			
मुख्य शीर्ष ''7053'' नागर विमानन के लिए कर्ज	Major Head "7053" Loans for Civil Aviation				
मू.	O.	2145.00	1500.00	1500.00	. .
पु.	R.	–645.00			

(I) 1482.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1482.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Airports - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Airport Authority of India" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''5053'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण और शिक्षा - नागर विमानन महानिदेशालय'' - 2512.94 लाख रु. की बचत (2555.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कठिनाइयों की वजह से गोंदिया में एक नए राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को चालू न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अनुसंधान और विकास - नागर विमानन महानिदेशालय'' - 140.69 लाख रु. की बचत (245.00

(II) Under Major Head "5053" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Training and Education - Directorate General of Civil Aviation" - saving of Rs.2512.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2555.00 lakhs) was due to non-commissioning of a new National Flying Academy at Gondia owing to administrative constraints.

(B) "Research and Development - Directorate General of Civil Aviation" - saving of Rs.140.69 lakhs (against the sanctioned provision of

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय हवाई अंतरिक्ष प्रयोगशाला, बंगलौर द्वारा दो हंस प्रशिक्षक वायुयानों की सुपुर्दगी न किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(गा) "अन्य व्यय - नागर विमानन सुरक्षा'' - 484.74 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागर विमानन सुरक्षा अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और परियोजना को कार्यान्वयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "7053'' - "सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)'' - 645.00 लाख की बचत (2145.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कतिपय परियोजनाओं पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5053'' - "विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 736.00 लाख रु. का अधिक व्यय (664.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Rs.245.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-delivery of two Hansa Trainer aircraft by National Aerospace Laboratory, Bangalore.

(C) "Other Expenditure-Civil Aviation Security" -saving of Rs.484.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-finalisation of the proposal for setting up of Civil Aviation Security Academy and entrustment of the project to Airports Authority of India for implementation.

(III) Under Major Head "7053" - "Loans to Public Sector and other Undertakings - Airports Authority of India (National Airports Division)" -saving of Rs.645.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2145.00 lakhs) was due to less expenditure by Airports Authority of India on certain projects.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5053" - "Airports-Investment in Public Sector and other Undertakings-Airports Authority of India (National Airports Division)" - excess of Rs.736.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.664.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.